भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई-न्यूजलेटर

मई 2024

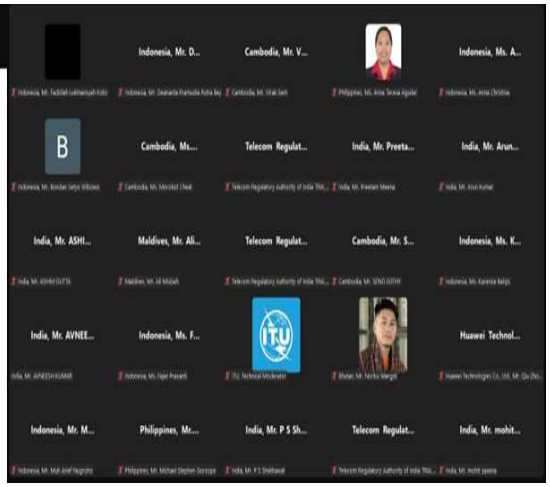

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और भारत द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 16 अप्रैल, 2024 को आयोजित ''5जी सहभागिता और अनुभव साझाकरण' विषय पर आयोजित वेबिनार में भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी द्वारा मुख्य भाषण देते हुए।

परामर्श

(1) **भादूविप्रा ने दिनांक 2 अप्रैल 2024 को "राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण हेतु इनपुट" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया।**

भादूविप्रा ने हितधारकों से टिप्पणियां मांगने के लिए दिनांक **2 अप्रैल 2024** को **"**राष्ट्रीय प्रसारण नीति-**2024** के निर्माण के लिए इनपुट**"** विषय पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई थी। उक्त परामर्श पत्र (सीपी) में भारत को 'ग्लोबल कंटेंट हब' बनाने के उद्देश्य से प्रसारण क्षेत्र में प्रचलित प्रासंगिक मुद्दों के बारे में बताया गया है। परामर्श पत्र (सीपी) में नीति और विनियामक उपायों तथा सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर सवाल उठाया गया है। इस पत्र में सार्वजनिक सेवा प्रसारण को सुदृढ़ बनाने, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विभिन्न खंडों के मुद्दों, पाइरेसी से निपटने और सूचना सामग्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, मजबूत दर्शक माप प्रणाली, स्थलीय प्रसारण और सामाजिक-पर्यावरणीय जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की गई है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/CP_02042024_0.pdf

(2) **भादूविप्रा ने दिनांक 4 अप्रैल 2024 को "आईएमटी के लिए चिह्नित किये गए 37-3 7.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया।**

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अन्य बातों के साथ-साथ आईटीयू के नवीनतम एनएफएपी/रेडियो विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित विनियामक तकनीकी आवश्यकताओं सहित 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए संबद्ध शर्तों पर अपनी अनुशंसाएं प्रदान करने हेतु भादूविप्रा से अनुरोध किया।

इस संबंध में, "**आईएमटी के लिए चिह्नित किए गए 37-3 7.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी**" विषय पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगते हुए दिनांक 04.04.2024 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया। उक्त परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से दिनांक 02.05.2024 तक लिखित टिप्पणियाँ तथा दिनांक 16.05.2024 तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं। तथापि, उद्योग संघों द्वारा अनुरोध किये जाने पर, लिखित टिप्पणियाँ तथा प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 16.05.2024 तथा 30.05.2024 तक बढ़ा दी गई थी।

https://trai.gov.in/sites/default/files/CP_04042024_0.pdf

अनुसंशाएं

(1) भादूविप्रा ने दिनांक 12 अप्रैल 2024 को "डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करना" विषय पर अनुशंसाएं जारी कीं।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 10 मार्च, 2023 के अपने पत्र संख्या 20-405/2013-एएस-I (वॉल्यूम V) के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि वे यथा संशोधित भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11(1)(क) के अनुसार "दूरसंचार क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों, सेवाओं और व्यापार मॉडल के लिए विनियामक सैंडबॉक्स हेतु रूपरेखा पर अनुशंसा" विषय पर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करें।

दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ, हितधारकों से प्राप्त फीडबैक और दूरसंचार अधिनियम 2023 में दिए गए विनियामक सैंडबॉक्स की परिभाषा के अनुरूप, जो कुछ विनियामक छूट प्राप्त करने के पश्चात एक निश्चित अवधि के लिए सीमित उपयोगकर्ताओं पर लाइव परीक्षण वातावरण में नए उत्पादों, सेवाओं, प्रक्रियाओं और व्यापार मॉडल के परीक्षण पर बल देता है, प्राधिकरण ने "डिजिटल संचार क्षेत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करने" पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दे दिया है और इस पर विचार करने हेतु दिनांक 12.04.2024 को इसे दूरसंचार विभाग (डीओटी) को भेज दिया है।

विनियामक सैंडबॉक्स के लिए एक ढांचा प्रदान करके, जो विभिन्न डिजिटल संचार क्षेत्र की संस्थाओं को एक संरचित तरीके से एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है, इन अनुशंसाओं से नवाचार और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स, दूरसंचार कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और विनियामकों के प्रयासों में समन्वय होने की उम्मीद है।

निम्नलिखित लिंक या क्यूआर कोड के माध्यम से विस्तृत मुख्य अनुशंसाओं तक पहुंचा जा सकता है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_12042024.pdf

(2) **भादूविप्रा ने दिनांक 24 अप्रैल 2024 को "दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीजिंग" विषय पर अपनी अनुशंसाएं जारी कीं।**

दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने दूरसंचार प्रचालकों के बीच एमएससी, एचएलआर, आईएन आदि जैसे मुख्य नेटवर्क तत्वों को साझा करने की अनुमति देने हेतु भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के

तहत भादूविप्रा की अनुशंसाएं मांगी हैं। इस संबंध में, दिनांक 13.01.2023 को हितधारकों से टिप्पणियाँ मागंते हुए **"दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीजिंग"** विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। इसके जवाब में हितधारकों से 21 टिप्पणियाँ और 05 प्रति टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। उक्त परामर्श पत्र पर वर्चुअल मोड के माध्यम से दिनांक 24.05.2023 को ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ, हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट, विषय पर व्यापक विचार-विमर्श और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने दिनांक 24 अप्रैल 2024 को **"दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीजिंग"** पर अपनी अनुशंसाएं जारी की हैं।

इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारियों को भवन, टावर, विद्युत उपकरण आदि जैसे निष्क्रिय अवसंरचना को साझा करने की अनुमति देना।
- दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारियों के बीच सक्रिय अवसंरचना के तत्वों को साझा करने की अनुमति देना।
- निष्क्रिय अवसंरचना को साझा करना सुनिश्चित करने हेतु भविष्य की सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) परियोजनाओं में प्रावधान शामिल करना।
- निष्क्रिय अवसंरचना को साझा करने हेतु मौजूदा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) परियोजनाओं को निर्देश देने की व्यवहार्यता को पता लगाना।
- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को एक विशिष्ट अवधि के लिए सरकारी वित्त पोषण के साथ दूरदराज के क्षेत्रों में अपने नेटवर्क पर रोमिंग की अनुमति देना अनिवार्य करना।
- एक्सेस सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर-बैंड एक्सेस स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति देना।
- स्पेक्ट्रम साझा करने के लिए प्राधिकृत साझा एक्सेस (एएसए) के कार्यान्वयन की तलाश करना।
- दूरसंचार विभाग पर्यवेक्षण के तहत एएसए -आधारित स्पेक्ट्रम साझाकरण के क्षेत्र परीक्षण आयोजित करना।
- एक्सेस सेवा प्रदाताओं के बीच एक्सेस स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने की अनुमति देना।

कुल मिलाकर, इन अनुशंसाओं का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और स्पेक्ट्रम संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_24042024_0.pdf

खुला मंच चर्चा

(1) **"एक्सेस सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) के लिए सेवा की गुणवत्ता मानकों की समीक्षा" विषय पर जारी परामर्श पत्र पर दिनांक 09.04.2024 को खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।**

भादूविप्रा ने दिनांक 9 अप्रैल 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "एक्सेस सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) के लिए सेवा की गुणवत्ता मानकों की समीक्षा" विषय पर जारी परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई। उक्त ओएचडी के कुछ वीडियो ग्रैब नीचे संलग्न हैं।

(2) **दिनांक 18 अप्रैल 2024 को "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा" विषय पर परामर्श पत्र पर ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।**

दिनांक 08.08.2023 के "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा" विषय पर जारी परामर्श पत्र के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 18 अप्रैल 2024 को एक और ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई। इस ओएचडी में लगभग 100 प्रतिभागियों (भादूविप्रा के अधिकारियों सहित) ने भाग लिया।

उक्त ओएचडी के कुछ दृश्य नीचे संलग्न हैं:

कार्यक्रम

- भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने दिनांक 5 अप्रैल 2024 को भादूविप्रा सचिव के साथ एनटीआईपीआरआईटी परिसर का दौरा किया। एनटीआईपीआरआईटी के डीडीजी श्री अतुल सिन्हा ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान भादूविप्रा के अध्यक्ष ने एनटीआईपीआरआईटी अधिकारियों से बातचीत की।

- भादूविप्रा के अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और भारत द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "5जी सहभागिता और अनुभव साझाकरण" विषय पर 16 अप्रैल 2024 को वेबिनार में भी भाग लिया, जिसमें आईटीयू की क्षेत्रीय निदेशक सुश्री अत्सुको ओकुडा भी मौजूद थीं। मंत्रालयों, विनियामकों और अन्य हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र के 16 देशों के प्रतिनिधियों ने इस वेबिनार में भाग लिया। प्रख्यात वक्ताओं ने 5जी रोलआउट योजना और कार्यान्वयन पर अपने अनुभव साझा किए।

दूरसंचार सब्स्क्रिप्शन

दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डेटा::

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	634.47	30.92	665.38
ग्रामीण टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	531.02	2.88	533.90
कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	**1165.49**	**33.79**	**1199.28**
समग्र दूरसंचार-घनत्व(%)	83.27	2.41	85.69
शहरी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	54.44	91.49	55.48
ग्रामीण सब्सक्राइबर्स का हिस्सा (%)	45.56	8.51	44.52
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या (मिलियन)	884.01	40.06	924.07

मार्च 2024 में पीक वीएलआर की तिथि पर सक्रिय वायरलेस सब्सक्राइबर 1057.71 मिलियन थे।

मार्च 2024 में, एमएनपी के लिए 11.44 मिलियन सब्सक्राइबर अनुरोध किए गए। इसके कार्यान्वयन के बाद से मार्च 2024 के अंत तक कुल 962.53 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी सुविधा का लाभ उठाया।

उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय (कोलकाता) ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किया::

क्र. सं..	स्थान	दिनांक
1	सीतामढ़ी (बिहार)	18 अप्रैल 2024

क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा दिनांक **18 अप्रैल 2024** को सीतामढ़ी (बिहार) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

न्यूजलेटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सदस्यता डेटा आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं मंजिल, टावर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर,
नई दिल्ली--110029

हम फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं! हमसे https://www.facebook.com/TRAI/ पर जुड़ें!

हम ट्विटर पर भी हैं! हमें TRAI@TRAI पर फॉलो करें